कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा जुलाई, 2016 माह में किये गए महत्वपूर्ण / उल्लेखनीय कार्य

1. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनि क अकादमी, मसूरी में प्रशि क्षण का चरण II समाप्त होने पर, इस वि भाग ने 2014 बैच के 172 आईएएस अधि कारि यों को दि नांक 01.08.2016 से 31.10.2016 तक तीन माह की अवधि के लि ए को भारत सरकार के मंत्रालयों/वि भागों में सहायक सचि व के रूप में केंद्रीय प्रति नि युक्ति पर तैनात करने हेतु आदेश जारी कि ए हैं।

2. इस वि भाग ने दि नांक 8 जुलाई, 2016 को अधि सूचना जारी की है कि भ्रष्टाचार और मानवाधि कार उल्लंघन के आरोप संबंधी सूचनाओं को छोड़कर, स्ट्रे टि जि क फोर्सेज कमांड को सूचना के अधि कार अधि नि यम, 2005 से छूट दी जाए।

3. लोक सेवकों द्वारा परि संपत्ति यों और देयताओं की घोषणा संबंधी लोकपाल और लोकायुक्त अधि नि यम, 2013 की धारा 44 के संशोधनों को लोकसभा द्वारा दि नांक 27.07.2016 को और राज्यसभा द्वारा दि नांक 28.07.2016 को पारि त कर दि या गया है।

4. लोक सेवक (परि संपत्ति यों और देयताओं की वार्षि क वि वरणी संबंधी सूचना प्रस्तुत करना तथा वार्षि क वि वरणी भरने में परि संपत्ति यों की छूट की सीमा) नि यमावली, 2014 का संशोधन कि या गया है और घोषणा/सूचना/वार्षि क वि वरणी को प्रस्तुत करने की अंति म ति थि को बढ़ाकर 31 दि संबर, 2016 तक कर दि या गया है।

5. सीसीएस (छुट्टी) नि यमावली, 1972 में एक नया नि यम शामि ल कि या गया है, जि समें आंतरि क समि ति अथवा स्थानीय समि ति+ जैसा भी मामला हो, की सि फारि श पर व्यथि त महि ला सरकारी कर्मचारी को कार्यस्थल पर महि ला का यौन उत्पीड़न (नि वारण नि षेध और समाधान अधि नि यम, 2013) के अंतर्गत अन्वेषण लंबि त रहने के दौरान अधि कतम 90 दि न की छुट्टी की मंजूरी दी जा सके। इन नि यम के अंतर्गत व्यथि त महि ला को इस प्रकार दी गई छुट्टी को छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा।

6. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/वि भागों से और सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से भ्रष्टाचार नि वारण अधि नि यम 1988 के अंतर्गत राज्य सरकारों/केंद्र सरकार में सेवारत आईएएस अधि कारि यों के अभि योजन की स्वीकृति के लि ए प्राइवेट व्यक्ति यों से प्राप्त प्रस्तावों/अनुरोध पर कार्रवाई के संबंध में टि प्पणी/मत मांगे गए है।

7. अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली, 1968 में प्रस्तावित संशोधनों पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, गृह मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय के टिप्पणियां/ मत मांगे गए हैं।

8. दिनांक 4 जुलाई, 2016 के इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं टी-25017/1/2015-प्रशिक्षण (आईएसटीएम अनुभाग) के तहत संवर्ग प्रशिक्षण योजना (सीटीपी) के संबंध में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के लिए प्रशिक्षण नीति कर संशोधन किया गया है।

9. केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के कार्मिकों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का प्रोफार्मा सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में उनकी टिप्पणियां/मत प्राप्त करने हेतु परिचालित कर दिया गया है।

10. चयन सूची वर्ष 2004 से 2009 के लिए सीएससीएस के वरिष्ठ सचिवालय सहायक के ग्रेड में अंतिम सामान्य वरिष्ठता सूची (सीएसएल) दिनांक 12.07.2016 को जारी की गई है।

11. सीएससीएस के वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के ग्रेड में गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड (एनएफसीजी) प्रदान करने के लिए चयन सूची 2014 और 2015 के लिए जोन दिनांक 19.07.2016 को जारी किया गया।

12. वरिष्ठता कोटा के अंतर्गत नियमित आधार पर चयन सूची वर्ष 2016 के लिए सीएसएसएस के वैयक्तिक सहायक (पीए) ग्रेड में नियुक्ति के लिए आशुलिपिक ग्रेड 'घ' का नामांकन, दिनांक 28.07.2016 को जारी किया गया है।

13. दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों के लिए वर्ष 2016 के ईदुल फितर की छुट्टी को बदलने का आदेश, दिनांक 05.07.2016 को जारी किया गया।

14. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, नई दिल्ली के सहयोग से संचार भवन, नई दिल्ली में 27.07.2016 को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया तथा इस शिविर में 39 कर्मचारियों ने रक्तदान किया।

15. अनुभाग अधिकारी ग्रेड के 16 अधिकारियों को तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया।

16. सीएसएस स्तर के उप सचि व और इससे ऊपर के अधि कारि यों के लि ए सीएसएस स्पैरो को क्रि यात्मक बनाया गया है। आज की स्थि ति के अनुसार 352 एपीएआर तैयार की गई हैं।

17. दि नांक 26.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन के तहत सभी संवर्ग इकाइयों को संवर्ग अनापति के लि ए सीएस प्रभाग में अनुरोध अग्रेषि त करने से पहले प्रति नि युक्ति के लि ए आवेदन करने वाले अधि कारि यों की योग्यता के मानदंड को पूरा करने को सुनि श्चि त करने हेतु अनुदेश जारी कि ए गए हैं।

18. दि नांक 14.07.2016 के का.ज्ञा.सं. 11012/05/2015-स्था(ए-III) के तहत उच्च न्यायालय के नि र्णय के अनुसार जब कोई शास्ति नि रस्त कर दी जाती है तो चूककर्ता सरकारी सेवक को संसूचि त की जाने वाली यूपीएससी की सलाह के संबंध में स्पष्टीकरण जारी कि या गया।

19. दि नांक 20.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/4/2016-स्था(ए-III) के तहत सीसीएस (आचरण) नि यमावली, 1964 के नि यम 4 के संदर्भ में परि वार की परि भाषा के संबंध में संदेह दूर करने के लि ए अनुदेश जारी कि ये गये हैं और यह स्पष्ट कि या गया कि नि यम 4(1) और 4(3) के संदर्भ में सरकारी कर्मचारी से संबंधि त 'परि वार के सदस्य' में पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, माता-पि ता, भाई या बहन अथवा कोई व्यक्ति जो उनमें से कि सी से भी रक्त अथवा वैवाहि क कारण से जुड़े हों, आते हैं, भले ही वे सरकारी सेवक पर आश्रि त हों या नहीं।

20. दि नांक 21.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/6/2007 स्था(ए-III) के तहत, इस आशय के अनुदेश जारी कि ए गए कि उच्च न्यायालय के आदेशों को ध्यान में रखते हुए कि नि लंबन के आदेश को तीन मही ने से ज्यादा न बढ़ाया जाए यदि इस दौरान चूककर्ता अधि कारी/कर्मचारी को आरोप पत्र ज्ञापन न दि या गया हो वि भागीय कार्यवाही के अभि योजन और प्रवर्तन पर एक साथ कार्रवाई की जाए।

21. आईएसटीएम के पाठ्यक्रमों में स्वच्छ भारत अभि यान, सरकार में आंतरि क्ष प्रौद्योगि की के प्रयोग, अंगदान पर सत्र आयोजि त कि ये गये।